

**CERTIFICATE IN SOCIAL WORK AND
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

Term-End Examination

June, 2015

**MSW-032 : SOCIAL WORK AND CRIMINAL
JUSTICE**

Time : 3 hours

Maximum Marks : 100

*Note : (i) Answer any five of the following questions in about
300 words each.*

(ii) All questions carry equal marks.

1. Discuss the typologies and patterns of crime. Describe the functions of Deviationism and Criminalisation. **20**
2. Describe the constitutional mandate on Criminal Justice System and also highlight the basic elements of Criminal Procedure Code. **20**
3. Discuss the Sociological and Psychoanalytical theory of criminal behaviour. **20**
4. Enlist the salient features of the Indian Penal Code. **20**
5. What are the powers and functions of police in India ? **20**

6. 'Presumption of Innocence' is the basic foundation of the Criminal Justice System in India. Discuss. **20**
7. Explain in detail the constitutional rights for the accused persons. **20**
8. Write short notes on **any two** of the following : **10x2=20**
- (a) Police Organisation
 - (b) Duties of the Prosecutor
 - (c) Role of the Courts
-

समाज कार्य एवं दंड न्याय प्रणाली में प्रमाणपत्र
सत्रांत परीक्षा
जून, 2015

एम.एस.डब्ल्यू.-032 : समाज कार्य एवं दंड न्याय

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

- नोट : (i) निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर (प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में) दीजिए।
- (ii) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. अपराध के स्वरूप एवं टाइपोलॉजी की चर्चा कीजिए। 20
अपराधीकरण एवं विचलनवाद के कार्यों की व्याख्या कीजिए।
2. अपराध न्याय व्यवस्था पर संवैधानिक जनादेश की व्याख्या 20
कीजिए एवं दण्ड-प्रक्रिया-संहिता के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश
डालिए।
3. आपराधिक व्यवहार की समाजशास्त्रीय एवं मनो-विश्लेषणात्मक 20
सिद्धान्त की चर्चा कीजिए।
4. भारतीय दण्ड संहिता की प्रमुख विशेषताएँ लिखिए। 20
5. भारत में पुलिस की क्या शक्तियाँ एवं कार्य हैं? 20

6. 'निर्दोष का बचाव' भारत में दण्ड न्याय व्यवस्था का प्रमुख आधार है। चर्चा कीजिए। 20
7. अभियुक्त व्यक्ति के लिए संवैधानिक अधिकारों को विस्तार से समझाइए। 20
8. निम्नलिखित में से **किन्हीं दो** पर संक्षिप्त लेख लिखिए : **10x2=20**
- (a) पुलिस संगठन
 - (b) अभियोजक के कर्तव्य
 - (c) न्यायालय की भूमिका
-